



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 जून 2015-ज्येष्ठ 29, शके 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं शादी पूर्व आरती जायसवाल पुत्री श्री शिवकुमार जायसवाल के नाम से जानी जाती थी तथा मेरे समस्त शैक्षणिक व अन्य दस्तावेज में आरती जायसवाल अंकित है. अब विवाह पश्चात् मेरा नाम आरती सिंह पत्नी डॉ. संजय कुमार सिंह हो गया है.

अतः भविष्य में मुझे आरती सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(आरती जायसवाल)

पुत्री श्री शिवकुमार जायसवाल

नया नाम :

(आरती सिंह)

पत्नी डॉ. संजय कुमार सिंह

F-13, हरिशंकरपुरम ग्वालियर (म.प्र.).

(130-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मेरा नाम कार्यालयीन एवं समस्त बाहरी व्यवहारिक, सामाजिक, दस्तावेजों में वर्ष 1992 से चन्द्रमोहन शर्मा के स्थान पर, चन्द्रमोहन व्यास के नाम से जाना-पहचाना जाय.

पुराना नाम :

(चन्द्र मोहन शर्मा)

(131-बी.)

नया नाम :

(चन्द्र मोहन व्यास)

98, जैन नगर गुफा मंदिर के सामने,

नयापुरा, लालघाटी, भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, भारत कुमार शाह ने अपना नाम परिवर्तन कर, भारत शाह कर लिया है. अब से मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(भारत कुमार शाह)

(143-बी.)

नया नाम :

(भारत शाह)

17, सुन्दर नगर, पिपलानी, भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं पूर्व में अपना नाम राजकुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व. श्री चन्द्रिका सहाय श्रीवास्तव लिखता था। लेकिन अब मैंने अपना नाम राज श्रीवास्तव पुत्र स्व. श्री चन्द्रिका सहाय श्रीवास्तव लिखना आरम्भ कर दिया है। मेरे सारे कागजात जैसे वोटर कार्ड, बैंक पास बुक तथा आधार कार्ड, पेन कार्ड तथा सारे कागजातों में राज श्रीवास्तव लिखा हुआ है। अब मुझे राज श्रीवास्तव के नाम से जाना पहचाना जावे।

सर्व-साधारण सूचनार्थ।

पुराना नाम :

(राजकुमार श्रीवास्तव)

नया नाम :

(राज श्रीवास्तव)

पुत्र स्व. श्री चन्द्रिका सहाय श्रीवास्तव,
63, ए, अनुपम नगर एक्टेन्सन,
सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.).

(132-बी.)

नाम परिवर्तन

1. यह कि शादी से पूर्व में, भुवनेश्वरी देशमुख पिता श्री कृष्णराव देशमुख के नाम से जानी, पहचानी जाती थी एवं सरनेम देशमुख लिखती थी।
2. यह कि वर्ष 2003 में मेरा विवाह श्री मनोज कुमार कुम्भारे पिता श्री ज्ञानराव कुम्भारे, निवासी बैतूल से सम्पन्न हुआ। विवाह के पश्चात् अब मैं नेहा कुम्भारे (भुवनेश्वरी) पति श्री मनोज कुमार कुम्भारे, निवासी नं. 52, जैन नगर, नियर गुफा मंदिर के सामने, लालघाटी भोपाल, म. प्र. के नाम से जानी पहचानी एवं लिखने लगी हूँ।
3. यह कि अब हमेशा के लिये मुझे नेहा कुम्भारे (भुवनेश्वरी) पति श्री मनोज कुमार कुम्भारे, स्थायी निवासी नं. 52, जैन नगर, नियर गुफा मंदिर के सामने, लालघाटी, भोपाल म.प्र. के रूप में जानी एवं पहचानी जावे, जिस हेतु यह सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की जा रही है।

पुराना नाम :

(भुवनेश्वरी देखमुख)

नया नाम :

नेहा कुम्भारे (भुवनेश्वरी)

(136-बी.)

जाहिर सूचना

मेरे पक्षकार श्री लाजरस खोरा पिता स्व. श्री धनेश खोरा, निवासी-वार्ड नं. 5, अमरवाड़ा, तहसील अमरवाड़ा, जिला छिदवाड़ा (वर्ष 2007 से वर्ल्ड विजन इंडिया में लाजिस्टिक को-ऑर्डिनेटर के पद पर) का नाम शैक्षणिक अंकसूची, प्रमाण-पत्र एवं डिग्री में लाजरस (LAGERS) दर्ज है, जो बर्तनी (SPELLING) एवं उच्चारण के अनुसार गलत है। उसका वास्तविक नाम लाजरस खोरा (LAZRUS KHORA) है और जनसाधारण में इसी नाम से जाना जाता है। उसके द्वारा अपने समस्त अभिलेखों में नाम उक्तानुसार सुधार करने की कार्यवाही की गयी है, उसे लाजरस (LAZRUS KHORA) के नाम से जाना जावे।

भवदीय

आर. के नेमा,

(अधिवक्ता)

राम मंदिर पथ अमरवाड़ा,

तहसील अमरवाड़ा, जिला छिदवाड़ा (म. प्र.)

(133-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा मुल वास्तविक नाम पेरूवडि नारायण भट्ट पिता श्री नारायण भट्ट, निवासी 104-ए, पार्श्वनाथ नगर, केशर बाग रोड, इन्दौर है तथा मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे। यह कि मेरे द्वारा उक्त जाहिर सूचना का प्रकाशन चर्मेली देवी पब्लिक स्कूल तेजपुर गड़बड़ी, इन्दौर में अपनी पुत्री माया भट्ट के पालन कर्ता की हैसीयत से स्वयं का नाम जो कि गलत दर्ज है उसे परिवर्तित कर विद्यालय रिकार्ड में सही मुल नाम पेरूवडि नारायण भट्ट पिता श्री नारायण भट्ट दर्ज करने के लिये प्रकाशित किया जा रहा है, जो कि पुर्णतः सत्य एवं सही है।

पुराना नाम :

(पेरूवडि भट्ट)

नया नाम :

(पेरूवडि नारायण भट्ट)

(134-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स श्रद्धा कंस्ट्रक्शन, 174, अनुपम नगर, जिला ग्वालियर ने 20 मार्च, 2015 को अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर श्री बीरेन्द्र त्यागी पुत्र श्री आर. सी. त्यागी, आयु 45 वर्ष, निवासी 174, अनुपम नगर, ग्वालियर. जिनका आकस्मिक निधन दिनांक 15-02-2015 को हो जाने के कारण फर्म में उनके स्थान पर उनकी पत्नी पक्षकार क्र. 1 श्रीमति नीलम त्यागी पत्नी स्व. श्री बीरेन्द्र त्यागी, आयु 42 वर्ष, निवासी 174, अनुपम नगर, ग्वालियर तथा पक्षकार क्र. 5 श्री कृष्णकांत कटारे पुत्र श्री के. एन. शर्मा, आयु 31, निवासी 195, त्यागी नगर, मुरार, ग्वालियर जो कि नवीन पक्षकारों के रूप में शामिल हुए हैं. फर्म में स्व. श्री बीरेन्द्र त्यागी के स्थान पर उनकी पत्नी श्रीमती नीलम त्यागी ही नफा-नुकसान वहन करेंगी तथा भविष्य में फर्म से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक शेष साझेदार जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार है.

M/s Shraddha Construction

(नीलम त्यागी)

(135-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकारगण श्री ओमप्रकाश चौधरी पिता स्व. रामप्रसाद चौधरी व सूर्यप्रकाश चौधरी पिता स्व. श्री रामप्रसाद चौधरी, निवासी श्रीराम पेट्रोलियम, ए. बी. रोड, टंकी चौराहा, शाजापुर, म. प्र. एवं उनके पिता स्व. रामप्रसाद चौधरी पिता भागीरथ चौधरी, निवासी श्रीराम पेट्रोलियम, ए. बी. रोड, शाजापुर एक फर्म श्रीराम पेट्रोलियम, ए. बी. रोड, टंकी चौराहा, शाजापुर मध्यप्रदेश में साझेदार थे. जिसमें से रामप्रसाद चौधरी पिता भागीरथ चौधरी, निवासी ए. बी. रोड, टंकी चौराहा, शाजापुर की मृत्यु दिनांक 05-01-2015 को हो चुकी है. तत्पश्चात् उक्त फर्म का संचालन मेरे उक्त दोनों पक्षकारों द्वारा किया जा रहा है. इस संबंध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, विभाग, निकाय आदि को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर सूचना के प्रकाशन से सात दिवस के अन्दर मुझसे सम्पर्क कर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें. उक्त बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी.

इन्दर सिंह गमी,

(एडवोकेट)

शाजापुर (म.प्र.).

(137-बी.)

भागीदारी विघटन की सूचना

फर्म मेसर्स "दमोह इन्फ्रास्ट्रक्चर" 15-डी, शीतलपुरी कॉलोनी, जबलपुर (म.प्र.) की भागीदारी विघटन, भागीदारी फर्म के भागीदारों की आपसी सहमति से दिनांक 31-03-2015 से हो गया है. दिनांक 01-04-2015 से फर्म के प्रोपराइटर श्री सुनील अरोरा रहेंगे.

सभी सर्व-संबंधित को सूचित हों.

एस. एस. सराफ

(एडवोकेट)

नया बाजार, नं. 01, दमोह.

(138-बी.)

PUBLIC NOTICE

It is hereby Notified under section 72 of the Indian Partnership Act, 1932 that the constitution of our firm "M/s Life Care" 23-24, Baikunth Dham, Nr. Anand Bazar, Indore M.P. has been changed on account of retirement of one of the Partner Shri Vaibhav Rai S/o Shri Anil Kumar Rai and admission of Smt. Timsi Rai W/o Shri Vishal Rai as a Partner of the Firm w. e. f. 01-01-2015. Address of our Firm also have been changed and new address is 37-38, Lasudia mori A.B. Road, Indore M.P.

For : And on Behalf of The Life Care

VISHAL RAI

(Partner)

37-38, Lasudia mori A.B. Road,
Indore (M.P.).

(139-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स भरत इन्टर प्राईजेज, स्थित 63, श्रीराम कॉलोनी, झांसी रोड, ग्वालियर (म.प्र.) में दिनांक 28-05-2015 को भागीदार श्री रवि गुप्ता पुत्र स्व. श्री एस. पी. गुप्ता, निवासी शब्द प्रताप आश्राम, ग्वालियर फर्म से अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म— भरत इन्टर प्राईजेज
एच. पी. अग्रवाल,
63, श्रीराम कॉलोनी, झांसी रोड,
ग्वालियर (म. प्र.).
द्वारा—हेमन्त सिरसट
सोगानी एण्ड कम्पनी, ग्वालियर.

(140-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स वरद कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, स्थित 27, ग्राफिक्स इंस्टीट्यूट के पास, पत्रकार कॉलोनी, गुना (म.प्र.) में दिनांक 31-03-2015 भागीदार श्री घनश्याम सिंह पुत्र श्री अनंत सिंह रघुवंशी, निवासी ग्राम सिरसी कला पोस्ट बरखेड़ी, जिला गुना (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म—वरद कन्स्ट्रक्शन कम्पनी
आशीष शिन्दे,
27, ग्राफिक्स इंस्टीट्यूट के पास,
गुना (म. प्र.).
द्वारा—हेमन्त सिरसट
सोगानी एण्ड कम्पनी, ग्वालियर.

(141-बी.)

आम सूचना

भारतीय भागीदारी आदि 1932 की धारा-72 के अन्तर्गत सूचना में मैसर्स रॉयल को डवलपर्स सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार फर्म मै. रॉयल को डवलपर्स जे-206, दर्पण कॉलोनी, थाटीपुर, ग्वालियर मध्यप्रदेश जिसका पंजीयन दिनांक 20-06-2009 को हुआ है, जिसमें दिनांक 01-04-2012 को निम्न भागीदारों में अवकाश ग्रहण किया है. (1) विनोद प्रकाश शर्मा पुत्र स्व. श्री हरिनारायण शर्मा, उम्र-69 वर्ष, निवासी-23, विवेकानन्द कॉलोनी, ग्वालियर मध्यप्रदेश, (2) श्री हरीश गुप्ता पुत्र श्री सेवाराम गुप्ता, उम्र-41 वर्ष, निवासी-सिकरवार बाजार, मुर्ना मध्यप्रदेश, (3) राहुल खत्री पुत्र श्री मुरारीलाल खत्री, उम्र-30 वर्ष, निवासी-जे-205, दर्पण कॉलोनी, थाटीपुर, ग्वालियर मध्यप्रदेश एवं दिनांक 01-04-2012 को नवीन भागीदार शामिल हुये. (1) राजेन्द्र कुमार गर्ग पुत्र श्री भावानीशंकर गर्ग, उम्र 48 वर्ष, निवासी जेड-6, जोन-1, एम. पी. नगर, भोपाल मध्यप्रदेश, (2) श्री निमित्त खत्री पुत्र श्री मुरारीलाल खत्री, उम्र-31 वर्ष, निवासी-जे-205, दर्पण कॉलोनी, थाटीपुर, ग्वालियर मध्यप्रदेश एवं दिनांक 31-03-2015 को भागीदार राजेन्द्र कुमार गर्ग पुत्र श्री भावानीशंकर गर्ग, उम्र-48 वर्ष, निवासी-जेड-6 जोन-1, एम. पी. नगर, भोपाल मध्यप्रदेश में अवकाश ग्रहण किया एवं शेष भागीदार (1) अंचल शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर दयाल शर्मा, उम्र-36 वर्ष, निवासी-सी-15, सी. आई पार्क व्यू, कोलार रोड, भोपाल मध्यप्रदेश, (2) श्री मुरारीलाल खत्री पुत्र स्व. श्री वीरभान खत्री उम्र-66 वर्ष, निवासी-जे-205, दर्पण कॉलोनी, थाटीपुर, ग्वालियर मध्यप्रदेश, (3) निमित्त खत्री पुत्र श्री मुरारीलाल खत्री, उम्र-31 वर्ष, निवासी-जे-205, दर्पण कॉलोनी थाटीपुर, ग्वालियर मध्यप्रदेश फर्म मैसर्स रॉयल को डवलपर्स में लगातार भागीदार है. अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति संस्था, बैंक, फर्म, शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालय आदि को कोई भी आपत्ति हो तो, इस सूचना प्रकाशन के सात दिवस भीतर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अपील प्रस्तुत करे.

(142-बी.)

समीर पाण्डेय,
(एडवोकेट)
चावड़ी बाजार गांधी मार्केट के सामने,
ग्वालियर (म. प्र.).

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स चिराग कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, रोहित नगर, ग्वालियर मध्यप्रदेश ने 31-03-2015 को अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर पक्षकार क्रमांक 3 श्री सुनील शर्मा पुत्र श्री राम कुमार शर्मा, आयु 19 वर्ष, निवासी शेरपुर गोहद, जिला भिण्ड फर्म से स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं तथा उनके स्थान पर नवीन पक्षकार, पक्षकार क्र. 3 के रूप में श्रीमती अनीता तिवारी पत्नी श्री अरविन्द तिवारी, आयु

42 वर्ष, निवासी 589, सुरेश नगर, थाटीपुर, ग्वालियर के रूप में शामिल किये गये हैं। फर्म से पृथक् हुए पक्षकार भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में इनका कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है तथा भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक शेष साझेदार जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार है।

मैसर्स चिराग कांस्ट्रक्शन कम्पनी
अरविंद तिवारी,
(पार्टनर)।

(144-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स दत्तात्रय इंजीनियरिंग वर्क्स, कार्यालय एफ-88, औद्योगिक क्षेत्र गोविंदपुरा, भोपाल मध्यप्रदेश में स्थित है। जिसका फर्म का रजिस्ट्रेशन क्रमांक 400, वर्ष 1982-83, दिनांक 18-06-1982 पर रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसाइटी भोपाल मध्यप्रदेश में दर्ज है जिसमें तीन भागीदार 1. श्रीमती मिनाक्षी म. दुधांडे, 2. श्रीपाद म. दुधांडे, 3. श्रीकान्त म. दुधांडे तीनों निवासी भोपाल है जिसमें से भागीदार श्रीमती मिनाक्षी म. दुधांडे की मृत्यु दिनांक 28-05-2010 को हो गई है।

यहकि उपरोक्त फर्म का विघटन दिनांक 31-07-2014 से दोनों भागीदार श्रीपाद म. दुधांडे एवं श्रीकान्त म. दुधांडे के मध्य आपसी सहमति से हो गया है तथा किसी प्रकार का विवाद नहीं है। विघटन दिनांक से फर्म से किसी प्रकार का कार्य संचालन नहीं किया जा रहा है।

सूचना ज्ञात हो।

श्रीपाद म. दुधांडे
दत्तात्रय इंजीनियरिंग वर्क्स
भोपाल मध्यप्रदेश।
द्वारा अधिवक्ता
मनोज आर. पाटिल
34, सेक्टर सी, सोनागिरी,
भोपाल मध्यप्रदेश।

(145-बी.)

सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म पटेल फेब मशीनरी मेन्यू, 89 ए औद्योगिक क्षेत्र गोविंदपुरा, भोपाल के भागीदारों के मध्य समझौता दिनांक 17-09-2014 के अनुसार भूखण्ड क्र. ए-89, औद्योगिक क्षेत्र गोविंदपुरा भोपाल के भूखण्ड 20,000 वर्गफिट में से आधा-आधा यानि की 10,000 वर्गफीट अशोक पटेल आत्मज स्व. श्री बाबूभाई पटेल एवं 10,000 वर्गफिट सतीष पटेल आत्मज स्व. श्री बाबूभाई पटेल के मध्य बांट लिया गया है जिसकी पृष्ठ एवं आदेश उद्योग संचालनालय मध्यप्रदेश (अधो. संरचना विकास कक्ष) के पत्र क्रमांक 125/अधो विका/बी-2/2014/1887, दिनांक 20-03-2015 एवं महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र भोपाल के पत्र क्रमांक जि. व्य. उके-भो./अधो विका/2015/1737, दिनांक 06-04-2015 को विभाजन की अनुमति प्रदान कर दी गई है एवं एक भागीदार श्रीमती विमला बेन पटेल के निधन के पश्चात उनके द्वारा पंजीकृत वसीयत के आधार पर उनका हिस्सा अशोक पटेल को दिया गया है।

अतः उपरोक्त प्रस्ताव के आधार पर उक्त भागीदारी फर्म ने सर्गिक रूप से स्वतः विघटित हो गई है।

अशोक पटेल
पटेल फेब मशीनरी मेन्यू,
भोपाल (मध्यप्रदेश)।

(146-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, सिरोंज, जिला विदिशा

क्र./1/बी-113/14-15.

दिनांक 18 मई, 2015

प्रारूप-तृतीय

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत]

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यायों के पंजीयक सिरोंज, जिला विदिशा के समक्ष यह कि श्री बाबूलाल पुत्र गोविन्दीलाल महावर, निवासी सिरोंज, जिला विदिशा मध्यप्रदेश ने श्री रामकृष्ण मंदिर महावर कोली समाज ट्रस्ट, सिरोंज, जिला विदिशा का लोक

न्यास, अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 18 मई, 2015 को मेरे न्यायालय में विचार किया जावेगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन दो प्रतियों में प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा।

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता एवं चल/अचल सम्पत्ति का वर्णन)

1. पब्लिक ट्रस्ट का नाम	..	श्री रामकृष्ण मंदिर महावर कोली समाज ट्रस्ट, सिरोंज.
2. पता	..	वार्ड नं. 10, कष्टम हनुमान पथ सिरोंज, जिला विदिशा.
3. चल सम्पत्ति	..	1. नगदी 39952/- रुपये.
4. अचल सम्पत्ति	..	स्थित कस्बा सिरोंज में पटवारी हल्का नं. 37 में अंसिचित खसरा नं. 2283 रकबा 0.076 है. का बाजार मूल्य 1,29,200/- है एवं ख. नं. 2282 रकबा 0.051 है. मंदिर रामकृष्ण.

आज दिनांक 18 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से प्रसारित किया गया.

चन्द्रमोहन ठाकुर,
पंजीयक.

(330)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन

प्र.क्र. 08/बी-113/2014-15.

दिनांक 11 मई, 2015

प्रारूप-चार

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

पंजीयक,

लोक न्यास,

जिला उज्जैन के समक्ष.

चूँकि शिवशरणम सेवा संस्थान परमार्थिक न्यास, मोतीनगर, रेतीघाट, ग्राम गोयलाखुर्द, परमेश्वरी गार्डन के पीछे (त्रिवेणी हिल्स के पीछे) इन्दौर रोड, उज्जैन, उज्जैन द्वारा ट्रस्ट का मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951) का 30 (की धारा-4) के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 08 जून, 2015 को प्रातः 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस उज्जैन का विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 08 जून, 2015 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक 08 जून, 2015 से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन तथा लोक न्यास का नाम और पता)

लोक न्यास का नाम :	श्री शिवशरणम सेवा संस्थान परमार्थिक न्यास
पता :	मोतीनगर, रेतीघाट, ग्राम गोयलाखुर्द, परमेश्वरी गार्डन के पीछे (त्रिवेणी हिल्स के पीछे) इन्दौर रोड, उज्जैन.
अचल सम्पत्ति :	निरंक.
चल सम्पत्ति :	बचत खाते में 11,000/- रुपये होने का उल्लेख बॉयलाज में किया.

अभिषेक दुबे,

पंजीयक.

(331)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, परगना गुना

प्रकरण क्र. 2 बी-113/14-15.

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री मीरी-पीरी, लोक न्यास पगारा, गुना द्वारा जल्थेदार बाबा बलकारसिंह पुत्र सरदार सोहनसिंह, निवासी ग्राम गुना की ओर से मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम की धारा-9 के अंतर्गत प्रकरण क्रमांक-3-बी-113/12-13, श्री मीरी-पीरी पंजीयत लोक न्यास में परिवर्तन हेतु एक आवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उक्त लोक न्यास के पंजीयन के पश्चात् 15-7-2014 को न्यास की मीटिंग बलकारसिंह की अध्यक्षता में की गई है। ट्रस्ट के पंजीयन के पूर्व जो पदाधिकारी नियुक्त थे वे अस्थायी थे। ट्रस्ट के पंजीयन के बाद बाबा बलकारसिंह पुत्र जयमलसिंह, गुरु गोविंद सिंह पुत्र अजीतसिंह, सुच्वासिंह पुत्र सुबेकसिंह, संतोक सिंह पुत्र उजागरसिंह छिन्द्रपाल पुत्र अमरजीतसिंह, असमीरसिंह पुत्र जगतसिंह, जगजीतसिंह पुत्र अमरजीतसिंह ट्रस्टियों ने ट्रस्ट से अलग होने की इच्छा जाहिर की इसलिये उक्त पूर्व में पंजीयन ट्रस्ट में से उन्हें ट्रस्टी पद से मुक्त किया जाये तथा उनके स्थान पर ट्रस्ट के संचालन के लिये नवीन ट्रस्टी गज्जनसिंह पुत्र गुलजारसिंह, उम्र 67, निवासी ग्राम सियरखेड़ी, जिला अशोकनगर, इनदरसिंह पुत्र हरवंशसिंह, उम्र 40, निवासी रूद्रपुर उत्तराखण्ड, सुच्वासिंह पुत्र तारासिंह, उम्र 45 वर्ष, निवासी रणधाबा कृषि फार्म शिवपुरी मध्यप्रदेश, मंजीतसिंह पुत्र गुरुदयाल सिंह उम्र 55, निवासी कलेक्टर फार्म, जिला ऊदमसिंह नगर उत्तराखण्ड प्रथपाल सिंह पुत्र मंजीतसिंह, उम्र 24, निवासी अमृतसर पंजाब उपरोक्त नवीन 5 ट्रस्टी की नियुक्ति के पश्चात् इस न्यास में कुल 8 ट्रस्टी हो गये हैं। उपरोक्त 5 ट्रस्टी के अतिरिक्त पुराने 3 ट्रस्टी बलकार बाबा, मंजिंदरसिंह एवं कदमसिंह को जोड़कर 8 ट्रस्टी हुये हैं। पंजीयन के बाद नवीन निर्वाचन नियुक्ति में अध्यक्ष—बाबा बलकारसिंह, उपाध्यक्ष—बाबा मंदिन्दरसिंह झाइवर, सचिव—सुच्वासिंह शिवपुरी पदाधिकारी के रूप में की गई है। इस प्रकार उपरोक्त परिवर्तन को अभिलेख पर लाया जाना आवश्यक है। इसलिये आवेदन-पत्र अंतर्गत धारा-9 लोक न्यास अधिनियम के अधीन प्रस्तुत करना जरूरी हुआ है। अस्तु आवेदन-पत्र स्वीकार कर उपरोक्तनुसार परिवर्तन को अभिलेख पर लिये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन के सम्बन्ध में जिस किसी को कोई आपत्ति है तो वह प्रकरण में नियत दिनांक 23 जून, 2015 तक अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। उक्त दिनांक निकल जाने के उपरांत किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा तथा प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 16 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई।

(333)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, परगना गुना

प्र.क्र./03/बी-113/2014-15.

प्रारूप क्रमांक-4

[देखिए नियम-7(1)]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

न्यायालय लोक न्यासों का पंजीयक, परगना-गुना, जिला गुना के समक्ष.

यतः कि न्यासधारी श्री कांतीकुमार शर्मा आत्मज श्री श्रीकृष्ण शर्मा, निवासी दुर्गा कॉलोनी गुना, "श्री दुर्गा मंदिर दुर्गा कॉलोनी लोक न्यास, गुना" जिला गुना मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है। एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि कथित आवेदन पर 13 जुलाई, 2015 के दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया गया।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम और पता	:	श्री कांतीकुमार शर्मा आत्मज श्री श्रीकृष्ण शर्मा, निवासी दुर्गा कॉलोनी गुना, पोस्ट गुना, तहसील व जिला गुना.
चल सम्पत्ति	:	न्यास की चल सम्पत्ति में न्यास की पूजा से सम्बन्धित वर्तन कीमती 2000/- रुपये, शंख, घण्टा, झालर आदि कीमती 2000/- रुपये, फर्श.
अचल सम्पत्ति	:	न्यास के पास भूमि सर्वे नं. 54/1, मिन में से रकबा 0.042 हैक्टेयर अचल सम्पत्ति है.

बी. डी. द्विवेदी,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(333-A)

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, पथरिया, जिला दमोह

दमोह, दिनांक 08 जून, 2015

आलय क्रमांक-4

[देखें नियम-(5)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

यतः कि श्री हर गोविन्द्र पिता परषोत्तम पटैल, निवासी झागर, तहसील पथरिया, जिला दमोह ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र 2015 माह मई 15 दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

न्यास का नाम व पता	..	श्री गणेश मंदिर, ग्राम झागर, तहसील पथरिया, जिला दमोह.
सम्पत्ति का विवरण	..	कास्त कारी भूमि 7.19 हैक्टेयर.

एन. एल. सामरथ,

अनुविभागीय अधिकारी.

(334)

न्यायालय कलेक्टर, सिवनी एवं पंजीयक, लोक न्यास अधिकारी, सिवनी, जिला सिवनी

प्र. क्र./ /बी-113 (1)/2013-14.

प्रारूप-तृतीय

[नियम-5 (1) देखिये]

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदकगण श्री देसाई दुर्गा मंदिर ट्रस्ट, नेहरू रोड, सिवनी द्वारा धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति एवं गौरव तथा निःशक्तजनों के सहायतार्थ सार्वजनिक पुण्यार्थ (चेरीटेबिल) ट्रस्ट होगा, हिन्दू धर्म का प्रचार-प्रसार एवं जनकल्याण के लिए पूजन, हवन, अनुष्ठान करना, संत-महंतों का समागम, धार्मिक, सांस्कृतिक आयोजन करना; समाज के धार्मिक, बौद्धिक एवं नैतिक विकास हेतु कार्य करना, धार्मिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार एवं लोगों में राष्ट्रीय भावना विकसित करने हेतु कार्य करना, जनहित एवं राष्ट्रहित में समस्याओं के समाधान हेतु "देसाई दुर्गा मंदिर ट्रस्ट, नेहरू रोड, सिवनी", तहसील व जिला सिवनी का लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 24 जुलाई, 2015 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

1. लोक न्यास का नाम . . . "श्री देसाई दुर्गा मंदिर" ट्रस्ट नेहरू रोड, सिवनी"
2. चल सम्पत्ति . . . 10,500/- (दस हजार पाँच सौ रुपये)
3. अचल सम्पत्ति . . . नजूल ब्लॉक नम्बर 32 के प्लॉट नम्बर 71/2 रकबा 156 वर्गफिट भूमि.

जे. समीर लकरा,

अपर कलेक्टर एवं पंजीयक.

(335)

न्यायालय रजिस्ट्रार पब्लिक, छतरपुर

प्र.क्र. 02/बी-113/2014-15.

छतरपुर, दिनांक 26 मई, 2015

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 (1951 का 30) मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

लोक न्यासों के पंजीयक छतरपुर, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश के समक्ष यह कि :-

क्र.	नाम	पद
1	2	3
1.	ट्रस्ट का संस्थापक एवं संरक्षक	महन्त श्री कमलेश बब्बा जू महाराज पिता श्री धरमदास, शरीर महाराज शरीर महाराज आश्रम, छतरपुर म.प्र.
2.	तहसीलदार महोदय (पदेन)	अध्यक्ष
3.	श्री यू. पी. सिंह तनय इन्द्रदेव सिंह, पुराना बिजावर नाका छतरपुर	उपाध्यक्ष
4.	श्री प्रकाश बाबू पाण्डेय तनय स्व. श्री बाला प्रसाद पाण्डेय, सागर रोड, छतरपुर	सचिव
5.	श्री तेज कुमार तिवारी तनय स्व. श्री रामप्रसाद तिवारी, नि. नरसिंहगढ़पुरवा, छतरपुर	कोषाध्यक्ष
6.	श्री हरसेवक उर्फ मुन्ना तिवारी तनय श्री रामप्रसाद तिवारी, निवासी देरी रोड, छतरपुर	ट्रस्टी सदस्य
7.	श्री उमाशंकर पाण्डेय तनय स्व. श्री कुंज बिहारी बंसारी गेट, छतरपुर	ट्रस्टी सदस्य
8.	श्री जानकी प्रसाद सक्सेना तनय स्व. श्री महावीर प्रसाद सक्सेना फौलादी मार्ग, छतरपुर	ट्रस्टी सदस्य
9.	श्री विनोद प्रसाद सक्सेना तनय स्व. श्री रमाशंकर सक्सेना, गणेश कॉलोनी, छतरपुर	ट्रस्टी सदस्य
10.	श्री नरेन्द्र यादव तनय श्री दिलीप सिंह यादव, निवासी गणेश कॉलोनी, छतरपुर	ट्रस्टी सदस्य
11.	श्री आलोक टिकरिया तनय श्री गौरीशंकर टिकरिया, टिकरिया मुहल्ला, छतरपुर	ट्रस्टी सदस्य
12.	श्री हरि अग्रवाल तनय श्री भगवानदास अग्रवाल, निवासी पुराना रोजगार कार्यालय के पास, छतरपुर	ट्रस्टी सदस्य
13.	श्री जय नारायण अग्रवाल तनय गोपीलाल अग्रवाल, निवासी टिकरिया मुहल्ला, छतरपुर	ट्रस्टी सदस्य
14.	श्री लल्लू माली तनय श्री मंगल माली, निवासी कडा की बरिया, छतरपुर	ट्रस्टी सदस्य
15.	श्री जगदीश प्रसाद शुक्ला तनय स्व. श्री साधूराम शुक्ला, निवासी चौबे कॉलोनी, छतरपुर	ट्रस्टी सदस्य
16.	श्री पंकज पहारिया तनय श्री हरिशंकर पहारिया, निवासी लोकनाथ पुरम, छतरपुर मध्यप्रदेश	ट्रस्टी सदस्य
17.	श्री राजू सरदार तनय श्री जगतार, सिंह नि. मसीही अस्पताल के पीछे, छतरपुर म.प्र.	ट्रस्टी सदस्य

1.	2.	3.
18.	श्री आशुतोश श्रीवास्तव तनय स्व. श्री बलवीर प्रसाद श्रीवास्तव, निवासी चौबे कॉलोनी, छतरपुर म.प्र.	ट्रस्टी सदस्य
19.	श्री रजनीश लखेरा तनय श्री उमाशंकर लेखेरे, निवासी रानी की बगिया, छतरपुर म.प्र.	ट्रस्टी सदस्य
20.	श्री प्रमोद खरे एड. तनय श्री बी. एल. खरे, निवासी शांतिनगर कॉलोनी, छतरपुर म.प्र.	ट्रस्टी सदस्य
21.	श्री श्रीराम गुप्ता तनय श्री राम मनोहर गुप्ता, निवासी शुक्लाना मुहल्ला, छतरपुर म.प्र.	ट्रस्टी सदस्य
22.	श्री अभिलेख खरे तनय श्री हरिप्रकाश खरे, निवासी गल्ला मण्डी, छतरपुर म.प्र.	ट्रस्टी सदस्य
23.	श्री हरीशंकर गुप्ता तनय स्व. श्री धर्मदास गुप्ता, निवासी शरीर महाराज आश्रम, छतरपुर	ट्रस्टी सदस्य
24.	श्री राजेश चौरसिया तनय भगवानदास चौरसिया, निवासी वार्ड नं. 19, बसारी गेट, छतरपुर म.प्र.	ट्रस्टी सदस्य
25.	श्री अनिल बरसैया तनय स्व. श्री किशोरीलाल बरसैया, निवासी वार्ड नं. 10, दूधनाथ कॉलोनी, छतरपुर म.प्र.	ट्रस्टी सदस्य
26.	श्री प्रेम गुप्ता तनय श्री विश्वनाथ गुप्ता, निवासी वार्ड नं. 04, कुरयाना मुहल्ला, छतरपुर	ट्रस्टी सदस्य
27.	श्री देवेन्द्र यादव तनय श्री हरिप्रसाद यादव, 01, फौलादी कलम चेतगिरी कॉलोनी, छतरपुर	ट्रस्टी सदस्य
28.	श्री नाथूराम तनय रामसेवक बिलैया, निवासी ग्रीन एब्यू कॉलोनी सर्टई रोड, छतरपुर म.प्र.	ट्रस्टी सदस्य
29.	नगर पुलिस अधीक्षक (पदेन) छतरपुर म.प्र.	पदेन सदस्य
30.	राजस्व निरीक्षक, तहसील छतरपुर म.प्र.	पदेन सदस्य
31.	पटवारी सदर, जिला छतरपुर	पदेन सदस्य

1. चूंकि आवेदकों/न्यासियों की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा श्री 1008 संत श्री शरीर महाराज पब्लिक ट्रस्ट, छतरपुर ट्रस्ट एक्ट 1951 के अधीन पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र पर दिनांक 14-07-2015 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा. इस सम्बन्ध में जिस किसी को आपत्ति हो वह आपत्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से प्रकरण में नियत दिनांक के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस में स्वयं अथवा अधिकृत अभिभाषक के माध्यम से अपनी आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1. लोक न्यास का नाम और पता . . . श्री 1008 संत श्री शरीर महाराज पब्लिक ट्रस्ट,
जिला अदालत के बगल में छतरपुर म.प्र.

सम्पत्ति का विवरण . . .

चल सम्पत्ति :—

क्र. (1)	नाम चल सम्पत्ति (2)	अनुमानित मूल्य (3)
1.	राधा कृष्ण मंदिर में स्थापित चार मूर्तियां संगमरमर पत्थर से बनी दो मूर्ति राधा कृष्ण की जो धातू से बनी हैं.	1,25,000
2.	मूर्तियों की पोषाक एवं मुकुट रेडीमेड है	3,000
3.	पूजा के बर्तन गिलास 5, प्लेट 3 एवं आरती 2, शंख 2, लोटा, चम्मच, बाल्टी आदि	2,000
4.	बक्सा 2.5 × 2, 2.5 × 3	2,000
5.	मंदिर में लगे दो घण्टा बजन 5 किलो	1,000
6.	मंदिर में लगे सीलिंग फैन 2, लाईट आदि	1,500
7.	राम जानकी मंदिर में 4 मूर्ति, एक मूर्ति हनुमान जी की संगमरमर की	1,00,000

(1)	(2)	(3)
8.	पोषाक मुकुट आदि	3,000
9.	पंचपात्र पूजा के बर्तन, लोटा, थाली, आरती	2,000
10.	बिजली के पंखे	1,000
11.	पुस्तकालय में रामायण आदि	500
12.	देवी जी का मंदिर 4 मूर्तियां स्थापित हैं, देवीजी, लक्ष्मीजी, काली माई, भगवती जी की मूर्ति संगमरमर की बनी है.	51,000
13.	मूर्तियों की पोषाक रेडीमेट, सिल्क के कपड़ों की बनी है, 4 मुकुट रेडीमेट के हैं	2,000
14.	पंचपात्र पूजा के बर्तन बाल्टी, लोटा, गिलास, चम्मच, थाली आदि कुल संख्या 9	1,500
15.	बक्सा एक साईज 2 × 2	50
16.	बब्बा श्री संत महाराज की समाधि स्थल में स्थापित 2 संगमरमर की मूर्तियां, शंकर जी की 1 जो पत्थर से बनी है.	51,000
17.	मूर्तियों की पोषाक रेडीमेट कपड़ों की 10 नग तथा 2 चादर, 2 साफा	3,000
18.	पंचपात्र पूजा के बर्तन थाली 1, लोटा 1, आरती 1, घण्टा 5 पीतल के वजन 5 किलो	1,000
19.	आश्रम में लकड़ी की अल्मारी, तखत 5, लोटा, गद्दा, पल्ली आदि	4,000

अचल सम्पत्ति का विवरण . .

1. भूमि खसरा नं. 3190/1/1 रकबा 4.368 में से स्थित छतरपुर खसरा वर्ष 2013-14 के कॉलम नं. 12 में अंकित परिसंपत्तियां.
2. भूमि पर स्थित मंदिर एवं परिसरों की स्थिति संलग्न ब्लू प्रिन्ट नक्शा अनुसार.

(336)

डी. पी. द्विवेदी,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जिला बैतूल

प्र.क्र. /113 (4)/2014-15.

प्रारूप क्रमांक-4

[देखें नियम-6(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियमानुसार (1) के द्वारा]

क्र./स. न्यास/2015.—सहस्र फणा शक्तिधाम सिविल लाईन कॉलेज, रोड बैतूल में अपनी समिति की ओर से यह कि श्री नवीन तातेड अध्यक्ष, ट्रस्ट कमेटी मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (19542130) धारा-4 के अंतर्गत एवं आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है एतद्वारा सूचना-पत्र लिया जाता है कि कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए उपरोक्त अवधि के अंतर्गत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

न्यास का नाम और पता : श्री नवीन तातेड मैनेजिंग ट्रस्ट सहस्र फणा शक्तिधाम सिविल लाईन कॉलेज रोड, बैतूल.

सम्पत्ति का विवरण : चल सम्पत्ति 10,000/- रुपये.

(337)

ए. के. रिछारिया,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1824, धार, दिनांक 09 दिसम्बर, 2014 के अनुसार एकता प्राथमिक उपभोक्ता भंडार मर्या., पीथमपुर, तहसील व जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1337, दिनांक 22 नवम्बर, 2012 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. नियत दिनांक को अध्यक्ष का जवाब प्रस्तुत तदनुसार संस्था द्वारा अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन किया जाना संचालक मण्डल की बैठकें, आमसभा आहूत की जाना, दुकान आवंटन के पश्चात् वित्तीय पत्रक तैयार कर ऑडिट आदि करवा लिये जाने का उल्लेख है, जबकि संस्था के पंजीकृत पते पर निर्वाचन हेतु पंजीकृत डाक से प्रेषित डाक वापस होने से स्पष्ट होता है कि संस्था पंजीकृत पते पर नहीं है. अंकेक्षक को अंकेक्षण हेतु रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करना, बैठकें आमसभा संधारित नहीं होना, निर्वाचन नहीं करवाना, दुकान आवंटन के पश्चात् ही कार्य किये जाना आदि.

उपरोक्त स्थिति विधि संगत नहीं कही जा सकती. संस्था द्वारा कार्य नहीं किये जाने से सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, धार द्वारा भी संस्था को परिसमापन में लाने अनुसंशा की गई है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए एकता प्राथमिक उपभोक्ता भंडार मर्या., पीथमपुर, तहसील व जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री प्रदीप पाठक, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(313)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/86, धार, दिनांक 20 जनवरी, 2015 के अनुसार माँ नर्मदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., धामनोद, तहसील धरमपुरी, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1224, दिनांक 21 मार्च, 2007 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. नियत दिनांक को संस्था के पदाधिकारी/सचिव उपस्थित नहीं हुए और न ही जवाब प्राप्त हुआ. सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला धार द्वारा भी संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाये जाने की अनुसंशा की गई है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ नर्मदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., धामनोद, तहसील धरमपुरी, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री अश्विनी राने, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(313-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/84, धार, दिनांक 20 जनवरी, 2015 के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कठोडिया, तहसील बदनावर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 393, दिनांक 17 अप्रैल, 1978 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. संस्था पंजीकृत पते पर नहीं होने से सूचना-पत्र तामिली नहीं हो पाया, पंजीकृत पते पर संस्था न होना नियम विरुद्ध है. सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला धार द्वारा भी संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाये जाने की अनुसंशा की गई है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कठोडिया, तहसील बदनावर, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. सी. मालवीय, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(313-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/83, धार, दिनांक 20 जनवरी, 2015 के अनुसार रेवा कामगार सहकारी संस्था मर्या., गुलाटी, तहसील धरमपुरी, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 968, दिनांक 12 जून, 1995 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयवधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. नियत दिनांक को संस्था के पदाधिकारी/सचिव उपस्थित नहीं हुए और न ही जवाब प्राप्त हुआ. सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला धार द्वारा भी संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाये जाने की अनुसंशा की गई है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेवा कामगार सहकारी संस्था मर्या., गुलाटी, तहसील धरमपुरी, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री अश्विनी राने, वरि. सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अप्रैल, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(313-C)

धार, दिनांक 27 अप्रैल, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/534.—शासकीय कर्मचारी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 212, दिनांक 19 अगस्त, 1964 है, को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2015/365, धार, दिनांक 24 मार्च, 2015 अनुसार परिसमापन में लाया जाकर श्री राजाराम बघेल, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था अध्यक्ष द्वारा भण्डार के लिये नियुक्त परिसमापक के माध्यम से भण्डार को पुनर्जीवित करने का आवेदन कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. श्री राजाराम बघेल, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक द्वारा प्रस्तुत टीप अनुसार भण्डार के जिला प्रशासन के सहयोग से सक्रिय होकर सक्षमता से कार्यशील बनाने के लिए कार्यवाही प्रचलन में होने से भण्डार को पुनर्जीवित कराये जाने की अनुसंशा इस कार्यालय को प्रस्तुत की है.

परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का परीक्षण करने पर पाया गया है कि भण्डार कार्यशील होकर सदस्यों के हित में सक्षम हो सकता है, इस हेतु भण्डार को पुनर्जीवित करना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक/परि./2015/365, धार, दिनांक 24 मार्च, 2015 को निरस्त करते हुए शासकीय कर्मचारी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, धार को पुनर्जीवित करता हूँ एवं भण्डार के कार्य संचालन हेतु पूर्व संचालक मण्डल को आगामी 03 माह के लिये नामांकित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि नवीन संचालक मण्डल के निर्वाचन के लिये 15 दिवस में निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करें.

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. श्री अनिल भास्करराव पुजारी | अध्यक्ष |
| 2. श्री हेमंत दत्ताजीराव भौसले | उपाध्यक्ष |
| 3. श्री हरजीतसिंह होरा | संचालक |
| 4. श्री भेरुसिंह केसरसिंह बारोड़ | —,— |
| 5. श्री मांगीलाल गेंदालाल | —,— |

6. श्री शिवशंकर बाबुलाल	संचालक
7. श्री गोपालकृष्ण रावल	—
8. श्री बबनलाल अग्रवाल	—
9. श्री हरिराम गोवर्धन लश्करी	—
10. श्रीमती कृष्णा गणेशप्रसाद शुक्ला	—
11. श्रीमती शांती सोमसिंह परमार	—

यह आदेश आज दिनांक 27 अप्रैल, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

ओ. पी. गुप्ता,
उप-रजिस्ट्रार.

(313-D)

कार्यालय उपायुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

झाबुआ, दिनांक 16 अप्रैल, 2015

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,

संलग्न सूची अनुसार 17 संस्थाओं.

क्र./परि./2015/151.—यह किसहकारी संस्था मर्या.,, विकासखण्ड जिला झाबुआ का पंजीयन क्रमांक, दिनांक है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त तथ्य की जानकारी संस्था के अंकेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुई है, ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मण्डलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है.
4. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
5. ऑडिट नोट में संस्था को 'द' वर्ग में रखा गया है.
6. दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था बंद होने से निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
7. संस्था द्वारा विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया गया व अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई.
8. संस्था द्वारा नियत समयावधि में वित्तीय पत्र-पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे.

कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में संस्था का संचालक मण्डल अपना प्रतिउत्तर /पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 01 मई, 2015 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन

प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मण्डल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा :-

क्र.	नाम संस्था	वर्ग	पंजीयन	दिनांक
1	2	3	4	5
1.	श्री आई. जी. साख सहकारी संस्था, पेटलावद	डी	1111	20-02-2014
2.	माही माता महिला आद्यो. स्व. सहा. समू, छोटीगेण्डडी	डी	1103	20-02-2014
3.	अमृत महिला ऑटो प्रिन्ट सह. स. झाबुआ	डी	1104	20-02-2014
4.	विनायक ऑटो प्रिन्ट सह. स. झाबुआ	डी	1102	20-02-2014
5.	जिला यातायात एवं परिवहन सह. संस्था, झाबुआ	डी	1101	20-02-2014
6.	शास. शिक्षक साख सह. संस्था, झाबुआ	डी	426	16-06-1970
7.	प्रगति साख सहकारी संस्था मर्या., पारा	डी	1105	20-02-2014
8.	वर्धमान साख सह. संस्था, थांदला	डी	1108	20-02-2014
9.	आदिवासी बीज उत्पादक सह. संस्था, रजला	डी	1015	24-04-2007
10.	माही नर्मदा बीज उत्पा. सह. संस्था, बनी	डी	1082	21-06-2012
11.	वाटरशेड बीज उत्पादक सह. संस्था, खालखण्डवी	डी	1098	05-06-2013
12.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., नौगावा	डी	715	06-11-1992
13.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था अगराल	डी	454	28-02-1988
14.	रैला मत्स्य सह. संस्था मर्या., गंगाखेडी	डी	1014	19-08-2010
15.	अन्त्योदय प्राथ. उप. भण्डार, झाबुआ	डी	1019	15-05-2007
16.	शास. कर्म. गृह निर्माण, झाबुआ	डी	557	05-02-1981
17.	राधा महिला गृह उद्योग, किशनपुरी	डी	994	28-02-2004

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 16 अप्रैल, 2015 को जारी किया गया है.

बबलू सातनकर

उप-आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक.

(314)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

कृषि फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या., सेगांवा, तहसील सेगांवा, जिला खरगोन का पंजीयन क्रमांक/एन.एम.आर. (के. आर. जी. एन)/1300, दिनांक 27 सितम्बर, 2001 को कार्यालयीन आदेश क्र./परि./06/1012, दिनांक 30 जून, 2006 द्वारा परिसमापन में लाया गया था. न्यायालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग, इन्दौर के निर्णय दिनांक 13 अक्टूबर, 2014 के द्वारा दिनांक 30 जून, 2006 के परिसमापक के निर्णय को निरस्त किया गया था. उक्त निर्णय के परिपालन में परिसमापक श्री राजाराम भट्ट द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2015 को सदस्यों की विशेष आमसभा आयोजित की गई. जिसमें आगामी तीन वर्षों की कार्ययोजना से संस्था का पुनर्जीवित हेतु निर्णय लिया गया. न्यायालय संयुक्त आयुक्त महो. का दिनांक 13 अक्टूबर, 2014 का निर्णय एवं परिसमापक द्वारा पुनर्जीवित प्रस्ताव की अनुशंसा की गई है.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5/1/99/पन्द्रह/1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा अधिनियम-69 (4) के अंतर्गत पंजीयक को पदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सदस्यों के व्यापक हित में कृषि फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या., सेगांवा, तहसील सेगांवा, जिला खरगोन

का पंजीयन क्रमांक/1300, दिनांक 27 सितम्बर, 2001 निम्न शर्तों के साथ पुनर्जीवित किया जाता है—

1. समिति की प्रस्तुत कार्ययोजना अनुसार अपना कार्य व्यवसाय समिति के उपविधि के अनुरूप करना सुनिश्चित करेगी एवं प्रगति से कार्यालय को अवगत कराएगी.
2. समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दो माह के भीतर अंकेक्षण हेतु संस्था के वित्तीय पत्रक एवं अन्य अभिलेख कार्यालय को अनिवार्यतः प्रस्तुत करेगी.
3. समिति की तदर्थ प्रबंधकारिणी समिति तीन माह के भीतर निर्वाचन कराये जाने हेतु विधिवत् प्रस्ताव कार्यालय में प्रस्तुत करेगी.
4. नामांकित अवधि में संचालक मण्डल द्वारा प्रस्तावित कार्ययोजना अनुसार संचालन न करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.
5. समिति की पुरानी लाभ-हानि एवं समस्त लेनदारी-देनदारी के निराकरण की जिम्मेदारी समिति की होगी.
6. समिति की नामांकित प्रबंधकारिणी निर्वाचन होने तक सहकारिता विस्तार अधिकारी सेगांवा के नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में कार्य करेगी एवं प्रत्येक गतिविधियों से अवगत करायेगी.

संस्था की विशेष आमसभा में कार्य संचालन हेतु प्रस्तावित निर्मांकित कार्यकारिणी समिति तीन माह के लिये नामांकित की जाती है, जो उपर्युक्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी.

नामांकित कार्यकारिणी:-

1.	श्री राजेन्द्रसिंह बोन्दरसिंहजी	अध्यक्ष
2.	श्री काशीराम शंकरलालजी	उपाध्यक्ष
3.	श्री देवेन्द्रसिंह बोन्दरसिंहजी	संचालक
4.	श्री दारासिंह पुनमचन्दजी	संचालक
5.	श्री कोलु मांगीलालजी	संचालक
6.	श्री नुरमोहम्मद वजीर मोहम्मद	संचालक
7.	श्री मोहन गुलाबसिंहजी	संचालक
8.	श्री महेश काशीराम	संचालक
9.	श्री मोहन शंकरलालजी	संचालक

यह आदेश आज दिनांक..... को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बी. एस. अलावा,
उप-पंजीयक.

(315)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शिवगढ़, तहसील आगर, जिला आगर, पंजीयन क्रमांक 352, दिनांक 24 दिसम्बर, 1985 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/895, शाजापुर, दिनांक 19 अगस्त, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 31 मार्च, 2015 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(316)

शाजापुर, दिनांक 06 मई, 2015

क्र./परि./2015/513.—माँ अम्बे महिला बचत साख सहकारी संस्था बरवाल, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक-11, दिनांक 09 जनवरी, 2002 को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/135, शाजापुर, दिनांक 16 फरवरी, 2015 जारी किया गया था. क्यों न संस्था को सूचना-पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया जाये. कारण बताओ सूचना-पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे.—

1. संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था.

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 15 मार्च, 2015 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ अम्बे महिला बचत साख सहकारी संस्था बरवाल, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक-11, दिनांक 09 जनवरी, 2002 को आज दिनांक 06 मई, 2015 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री मनीष चौधरी, सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 06 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(316-A)

शाजापुर, दिनांक 06 मई, 2015

क्र./परि./2015/514.—माँ वैष्ण महिला बचत साख सहकारी संस्था लडावद, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक-12, दिनांक 09 जनवरी, 2002 को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/136, शाजापुर, दिनांक 16 फरवरी, 2015 जारी किया गया था. क्यों न संस्था को सूचना-पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया जाये. कारण बताओ सूचना-पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे.—

1. संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था.

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 15 मार्च, 2015 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ वैष्ण महिला बचत साख सहकारी संस्था लडावद, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक-12, दिनांक 09 जनवरी, 2002 को आज दिनांक 06 मई, 2015 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री बी. एस. भवर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 06 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(316-B)

शाजापुर, दिनांक 06 मई, 2015

क्र./परि./2015/515.—माँ गायत्री साख सहकारी संस्था रंथभवर, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक-13, दिनांक 19 जनवरी, 2002 को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/137, शाजापुर, दिनांक 16 फरवरी, 2015 जारी किया गया था. क्यों न संस्था को सूचना-पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया जाये. कारण बताओ सूचना-पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे.—

1. संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था.

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 15 मार्च, 2015 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ गायत्री साख सहकारी संस्था रंथभवर, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक-13, दिनांक 19 जनवरी, 2002 को आज दिनांक 06 मई, 2015 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री सुधीर जैन, उप-अंकेक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 06 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(316-C)

शाजापुर, दिनांक 06 मई, 2015

क्र./परि./2015/516.—माँ पार्वती महिला बचत साख सहकारी संस्था मझानिया, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक-36, दिनांक 26 दिसम्बर, 2003 को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/134, शाजापुर, दिनांक 16 फरवरी, 2015 जारी किया गया था. क्यों न संस्था को सूचना-पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया जाये. कारण बताओ सूचना-पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे.—

1. संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था.

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 15 मार्च, 2015 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ पार्वती महिला बचत साख सहकारी संस्था मझानिया, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक-36, दिनांक 26 दिसम्बर, 2003 को आज दिनांक 06 मई, 2015 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री के. के. कांगले, सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 06 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(316-D)

शाजापुर, दिनांक 06 मई, 2015

क्र./परि./2015/517.—माँ सरस्वती महिला बचत साख सहकारी संस्था आलाउमरोद, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक-42, दिनांक 15 दिसम्बर, 2004 को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/133, शाजापुर, दिनांक 16 फरवरी, 2015 जारी किया गया था. क्यों न संस्था को सूचना-पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया जाये. कारण बताओ सूचना-पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे.—

1. संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से नियत समयवाधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था.

संस्था द्वारा निर्धारित समयवाधि 15 मार्च, 2015 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ सरस्वती महिला बचत साख सहकारी संस्था आलाउमरोद, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक-42, दिनांक 15 दिसम्बर, 2004 को आज दिनांक 06 मई, 2015 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री पं. विनोद शर्मा, उप-अंकेक्षक वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 06 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(316-E)

शाजापुर, दिनांक 06 मई, 2015

क्र./परि./2015/518.—माँ दुर्गा महिला बचत साख सहकारी संस्था पाडली, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक-43, दिनांक 15 दिसम्बर, 2004 को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/132, शाजापुर, दिनांक 16 फरवरी, 2015 जारी किया गया था. क्यों न संस्था को सूचना-पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया जाये. कारण बताओ सूचना-पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे.—

1. संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से नियत समयवाधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था.

संस्था द्वारा निर्धारित समयवाधि 15 मार्च, 2015 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ दुर्गा महिला बचत साख सहकारी संस्था पाडली, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक-43, दिनांक 15 दिसम्बर, 2004 को आज दिनांक 06 मई, 2015 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आर. के. असाटी, सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 06 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(316-F)

शाजापुर, दिनांक 06 मई, 2015

क्र./परि./2015/519.—माँ संतोषी महिला बचत साख सहकारी संस्था तिलावद गोविन्द, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक-44, दिनांक 15 दिसम्बर, 2004 को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/131, शाजापुर, दिनांक 16 फरवरी, 2015 जारी किया गया था. क्यों न संस्था को सूचना-पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया जाये. कारण बताओ सूचना-पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे.—

1. संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था.

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 15 मार्च, 2015 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ संतोषी महिला बचत साख सहकारी संस्था तिलावद गोविन्द, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक-44, दिनांक 15 दिसम्बर, 2004 को आज दिनांक 06 मई, 2015 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री मनीष चौधरी, सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 06 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(316-G)

शाजापुर, दिनांक 06 मई, 2015

क्र./परि./2015/520.—माँ दुर्गा महिला बचत साख सहकारी संस्था टुकराना, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक-45, दिनांक 15 दिसम्बर, 2004 को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/130, शाजापुर, दिनांक 16 फरवरी, 2015 जारी किया गया था. क्यों न संस्था को सूचना-पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया जाये. कारण बताओ सूचना-पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे.—

1. संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था.

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 15 मार्च, 2015 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ दुर्गा महिला बचत साख सहकारी संस्था टुकराना, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक-45, दिनांक 15 दिसम्बर, 2004 को आज दिनांक 06 मई, 2015 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आरिफ खान, सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 06 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(316-H)

शाजापुर, दिनांक 06 मई, 2015

क्र./परि./2015/521.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपलोनखुर्द, तहसील आगर, जिला आगर, पंजीयन क्रमांक-381, दिनांक 05 सितम्बर, 1986 को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/139, शाजापुर, दिनांक 16 फरवरी, 2015 जारी किया गया था. क्यों न संस्था को सूचना-पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया जाये. कारण बताओ सूचना-पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे.—

1. संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था.

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 15 मार्च, 2015 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपलोनखुर्द, तहसील आगर, जिला आगर, पंजीयन क्रमांक-381, दिनांक 05 सितम्बर, 1986 को आज दिनांक 06 मई, 2015 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री योगेश शर्मा, सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 06 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(316-I)

शाजापुर, दिनांक 06 मई, 2015

क्र./परि./2015/522.—माँ गायत्री उपभोक्ता सहकारी भण्डार बडौद, तहसील बडौद, जिला आगर, पंजीयन क्रमांक-944, दिनांक 31 जुलाई, 2006 को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/138, शाजापुर, दिनांक 16 फरवरी, 2015 जारी किया गया था. क्यों न संस्था को सूचना-पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया जाये. कारण बताओ सूचना-पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे.—

1. संस्था गत तीन वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था.

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 15 मार्च, 2015 को समाप्त हो जाने के पश्चात् आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ गायत्री उपभोक्ता सहकारी भण्डार बडौद, तहसील बडौद, जिला आगर, पंजीयन क्रमांक-944, दिनांक 31 जुलाई, 2006 को आज दिनांक 06 मई, 2015 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री योगेश शर्मा, सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करे तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 06 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

आर. के. मालवीय,
उप-पंजीयक.

(316-J)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 07 अप्रैल, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2015/881.—संत अमरदास सहकारी साख संस्था मर्या., उज्जैन, पंजीयन क्रमांक 1637, दिनांक 19 फरवरी, 2004 आदेश क्रमांक/परि./1507, दिनांक 05 जुलाई, 2013 से परिसमापन में लाया जाकर श्रीमती हेमलता चंदेल, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था की निष्क्रियता व अकार्यशीलता थी.

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की है.

अतः सहकारिता के सिद्धांतों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन सम्बन्धी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है. अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960, के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्टित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/1507, दिनांक 05 जुलाई, 2013 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69 (4) के अन्तर्गत संत अमरदास सहकारी साख संस्था मर्या., उज्जैन, पंजीयन क्रमांक 1637, दिनांक 19 फरवरी, 2004 को इस शर्त पर पुनर्जीवित करता हूँ साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु प्रबन्ध समिति का आगामी निर्वाचन होने तक श्री विनायक राजुरकर, सहकारी निरीक्षक को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 अप्रैल, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(317)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1484, दिनांक 03 जुलाई, 2013 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चकरावदा, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 674, दिनांक 25 अगस्त, 1980 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. के. मालवीय, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(317-A)

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 जून 2015-ज्येष्ठ 29, शके 1937

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 18 फरवरी, 2015

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के उमरिया, सीधी, बैतूल, जबलपुर व मण्डला जिले को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है।

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील बांधवगढ़ (उमरिया), मझोली (सीधी), भैंसदेही, घोड़ा डोगरी, चिचोली, बैतूल, मुल्ताई, आठनेर, आमला (बैतूल), सीहोरा, पाटन, जबलपुर, मझोली, कुन्डम (जबलपुर), निवास, बिछिया, नैनपुर, मण्डला, घुघरी, नारायणगंज (मण्डला) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. जुताई.—जिला शिवपुरी व उमरिया में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. बोनी.—जिला उमरिया में रबी फसल बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

4. फसल स्थिति.—

5. कटाई.—जिला कटनी में रबी फसल तुअर की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, सागर, उमरिया, उज्जैन, शाजापुर, विदिशा, नरसिंहपुर व सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का सामाहिक सूचना-पत्रक, समाहांत बुधवार, दिनांक 18 फरवरी, 2015

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	..				
2. पोरसा	..				
3. मुरैना	..				
4. जौरा	..				
5. सबलगढ़	..				
6. कैलारस	..				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	..				
2. कराहल	..				
3. विजयपुर	..				
*जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. अटेर	..				
2. भिण्ड	..				
3. गोहद	..				
4. मेहगांव	..				
5. लहार	..				
6. मिहोना	..				
7. रौन	..				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, मूंगमोठ, तुअर, मूंगफली अधिक. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	..				
2. डबरा	..				
3. भितरवार	..				
4. घाटीगांव	..				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, मटर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	..				
2. दतिया	..				
3. भाण्डेर	..				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गन्ना, सोयाबीन अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..				
2. पिछोर	..				
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बदरवास	..				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मुँगावली	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शादौरा	..				
*जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गुना	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. राधोगढ़	..		(2) ..		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		मसूर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. लवकुश नगर	..		4. (1) तुअर, जौ अधिक. गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बकस्वाहा	..				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	..		4. (1) मूंग, जौ, राई-सरसों, अलसी, प्याज	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	..		कम. धान, ज्वार, बाजरा, मक्का,	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	..		तुअर, उड़द, तिल, सोयाबीन, गेहूँ,		
4. पवई	..		चना, मसूर, आलू कम.		
5. शाहनगर	..		(2) ..		
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	..		(2) ..		
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगवां	..				
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ...	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना राई-सरसों अधिक. मसूर, अलसी, जौ, अरहर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकुर्लियान	..				
*जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. ... 6. ..	7. .. 8. ..
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना अधिक. राहर, गेहूँ कम. अलसी, राई-सरसों, मसूर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, मक्का, कोदों-कुटकी, उड़द, अरहर, गेहूँ, चना, राई-सरसों, अलसी अधिक. सोयाबीन कम. तिल समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	1.2				
2. पाली	..				
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गोपदवनास	..		4. (1) राई-सरसों, अलसी, चना, मटर, मसूर, जौ, गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिहावल	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	6.0				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	..				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. चितरंगी	..		4. (1) राई-सरसों, चना, गेहूँ अधिक. तुअर, अलसी, मसूर, जौ, आलू समान.	6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..		(2) ..		
3. सिंगरौली	..				
जिला मन्दासौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सुवासरा-टप्पा	..		4. (1) गेहूँ चना कम. रायड़ा समान.	6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मन्दासौर	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. धुन्धडका	..				
9. संजीत	..				
10. कयामपुर	..				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	..		4. (1) गेहूँ, राई-सरसों अधिक. चना, मसूर, मटर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..		(2) ..		
3. मनासा	..				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..		4. (1) गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
जिला आगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़ौद	..		4. (1) गेहूँ, चना.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. मो. बड़ोदिया	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सोनकच्छ	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. टोंकखुर्द	..		(2) ..		
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. थांदला	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. जोवट	..		4. (1) गेहूं, चना कम. कपास समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोण्डवा	..				
5. भामरा	..				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. बदनावर	..		4. (1) गन्ना अधिक. गेहूं, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	..				
4. महु	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..		4. (1) बाजरा, मक्का, कपास, मूँगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	..		अलसी, राई-सरसों अधिक. ज्वार,	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	..		धान, तुअर, गेहूं, चना कम.		
4. खरगौन	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़वानी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ठीकरी	..		(2) ..		
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4. (1) कपास, तुअर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, सरसों, मसूर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	..		अधिक. गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	..		4. (1) धान अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. ...	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) गेहूँ, चना, मक्का, तुअर, गन्ना	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		समान.	चारा पर्याप्त.	
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2)	
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. रायसेन	..		4. (1) गेहूँ, जौ, राई-सरसों, अलसी, मसूर अधिक. चना, मटर, लाख, तिवड़ा कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बेगमगंज	..				
4. गौहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	2.6		4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	3.1		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	10.2				
5. बैतूल	2.0				
6. मुलताई	11.4				
7. आठनेर	6.2				
8. आमला	15.0				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..		4. (1) चना, मटर, तुअर अधिक. मसूर कम. गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) गेहूँ	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..		(2) ..		
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	3.8		4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. ..
2. पाटन	14.2		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जबलपुर	8.8				
4. मझौली	4.3				
5. कुण्डम	7.0				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. तुअर फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	..		4. (1) चना, मसूर, अलसी, राई-सरसों गेहूँ, जौ, मटर.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..		(2) ..		
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, धान, मक्का, उड़द, गन्ना, गेहूँ, मसूर, मटर अधिक. चना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	..				
2. करेली	..				
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर, लाख, अलसी सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास	10.8				
2. बिछिया	9.8				
3. नैनपुर	2.0				
4. मण्डला	6.5				
5. घुघरी	1.7				
6. नारायणगंज	0.5				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, तुअर कोदों-कुटकी समान. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	..				
2. बजाग	..				
3. शाहपुरा	..				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, तुअर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..				
2. जुन्नारदेव	..				
3. परासिया	..				
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोंसर	..				
6. पांदुर्णा	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. बिछुआ	..				
10. हरई	..				
11. बोलखेड़ा	..				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द, मूंगफली, गन्ना अधिक. ज्वार, कोदों-कुटकी, गेहूँ, सोयाबीन, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, अलसी, राई-सरसों कम. तिल, सन समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	..				
2. केवलारी	..				
3. लखनादौन	..				
4. बरघाट	..				
5. उरई	..				
6. घंसौर	..				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	..				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..				
2. लाँजी	..				
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला भिण्ड, गुना, शहडोल, देवास, बड़वानी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं।

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(332)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2015.